

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 19(अ)84-85/पार्ट-5/वसु/प्रमुवसं/ 8488-8637 दिनांक: 26-9-06
समस्त वनाधिकारी परिपत्र

राज्य के समस्त वनाधिकारियों को स्मरण कराया जाता है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.7.86 द्वारा समस्त प्रजातियों की वन ऊपज को राज्य के भीतर अयांत्रिकी (Non mechanised) वाहनों के माध्यम से परिवहन की छूट प्रदान की गई थी। इसके उपरान्त राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.1.1991 सहपठित संशोधन दिनांक 21.7.99 द्वारा सात प्रजातियों (सफेदा, सू-बबूल, अरडू, विलायती बबूल, इजरायली बबूल, देशी बबूल और शीशम) की इमारती लकड़ी को पूरे राज्य में (कतिपय क्षेत्रों को छोड़कर) यांत्रिकी साधनों सहित परिवहन की छूट प्रदान की गई थी। तदुपरांत इसी क्रम में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.9.05 द्वारा श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों को छोड़कर पॉपलर प्रजाति के वृक्षों की लकड़ी के परिवहन को भी छूट प्रदान की गई थी।

इस कार्यालय द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में राज्य के पर्यावरण संतुलन एवं जैव विविधता के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिसूचनाओं से विविध प्रजातियों की टिम्बर के परिवहन को समय-समय पर प्रदान की गई छूट को सीमित करने हेतु पुनर्विचार करने बाबत राज्य सरकार से निवेदन किया गया।

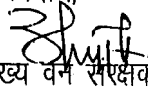
राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का पुनः गहन परीक्षण किया गया तथा पूर्व अधिसूचना दिनांक 15.7.86 एवं 19.1.91 को अधिलिखित करते हुए नवीन अधिसूचना दिनांक 2.9.2006 जारी की है, जिसकी प्रति इस परिपत्र के पृष्ठभाग में दर्शा दिया गया है। नवीन अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अब मात्र निम्नांकित 8 प्रजातियों की टिम्बर को राज्य के भीतर समस्त प्रकार के साधनों (यांत्रिक या गैरयांत्रिक) से परिवहन हेतु राजस्थान वन (उपज परिवहन) नियम 1957 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है:-

युकेलिप्टस, सू-बबूल, अरडू, विलायती बबूल, इजरायली बबूल, देशी बबूल, शीशम और पॉपलर, परन्तु यह है कि-

1. उपरोक्त छूट शीशम, युकेलिप्टस और देशी बबूल के लिये जिला श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले की तहसील फलौदी और ओसियां के लिये लागू नहीं होगी।
2. उपरोक्त छूट पॉपलर प्रजाति के लिये जिला श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के लिये लागू नहीं होगी।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि नवीन अधिसूचना दिनांक 2.9.2006 जारी होने के उपरांत उपरोक्त 8 प्रजातियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रजाति की टिम्बर को किसी भी प्रकार के परिवहन साधनों से (यांत्रिक अथवा गैर यांत्रिक) परिवहन किया जाना राजस्थान वन (उपज परिवहन) नियम 1957 का उल्लंघन होगा तथा यह कृत्य वन अपराध की श्रेणी में माना जावेगा।

कृपया उक्तानुसार अपने स्तर से सभी वन अधिकारी/कर्मचारियों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें एवं इसका व्यापक जन-प्रसार भी करें विशेषकर ग्रामीण जनता को इसकी जानकारी रहे इसलिए पंचायत, पंचायत समिति, जिला कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा किया जावे।

भवदीय,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, 26/9
राजस्थान, जयपुर।